

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,
सम्भल, रायबरेली।

पत्रांक: 529 /वि0क0/यो0/आवंटन/2013-14 : लखनऊ दिनांक : 21 मार्च, 2014.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में जनपद अमेठी तथा बदायूँ से प्राप्त समर्पण क्रमशः रु0 43,92,000/- तथा रु0 47,62,800/- को स्वीकार करते हुए जनपद सम्भल को रु0 47,62,800/- एवं जनपद रायबरेली को रु0 43,92,000/- अर्थात् कुल रु0 91,54,800/- (रुपये इक्यान्वे लाख चौवन हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि आबंटन आदेश सं0- 070-0301- दिनांक-20.03.2014 (संलग्नक-1) के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है तथा संलग्नक-2 के अनुसार भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं :-

1- उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक 6 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-बी-2337/दस-97, दिनांक 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलैण्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या-3318/दस-22-98, दिनांक 28.07.1998 में किया गया है।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तर दायित्व जिला विकलांग कल्याण अधिकारी का होगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय उपरोक्त आबंटन आदेश सं0- 070-0301- दिनांक-20.03.2014 में उल्लिखित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

7- उक्त आवंटन निदेशालय की सम्यक अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0- 15 पर अंकित हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृष्ठांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3 कोषाधिकारी, सम्भल, रायबरेली, बदायूँ एवं अमेठी, उत्तर प्रदेश।
- 4 जिलाधिकारी, सम्भल, रायबरेली, बदायूँ एवं अमेठी, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
- 7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 8 गार्ड फाईल।

(डा0 ए0के0 वर्मा)
उपनिदेशक,
कृते निदेशक।

विकलांग कल्याण निदेशालय

आवंटन आदेश संख्या: 070-0301 - .

आवंटन तिथि:

20/03/2014

अनुदान संख्या: 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक: 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

07 - नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण-पोषण


हेतु अनुदान

आयोजनेत्तर
(धनराशि रु. में)

अधिकारी / जनपद	20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
45-रायबरेली-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	4392000	4392000
92-सम्बल-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --जिला कार्यालय - विकलांग कल्याण	4762800	4762800
योग:	9154800	9154800

(रूपया- इक्यानबे लाख चौवन हजार आठ सौ)

महायोग- (रूपया- इक्यानबे लाख चौवन हजार आठ सौ)


(के० एन० सिंह)
मुख्य वित्त एवं
लेखाधिकारी

